रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1

PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 1986/पौष 27, 1907

No. 3] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 1986/PAUSA 27, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचनाएं

कानपुर, 15 जनवरी, 1986

निदेश नं. एम. डी 280/85-86—अतः मुझे, एच. आर. दास, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं. 80/4 है तथा जो अंसारी रोड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मुजफ्फरनगर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकरण सं० 4640, तारीख 10-4-85 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री घनश्याम दास, एडवोकेट
   भैरव का मन्दिर,
   मुजफ्फरनगर । (अन्तरक)

2. सुभाष चन्द मित्तल, (अन्तरिती)
द्वारा शंकर मिष्ठान भण्डार,
अंसारी रोड मुजफ्फरनगर ।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी उपरोक्त (वह व्यक्ति, जिसके अभिभोग में सम्पत्ति है)

4. श्री/श्रीमती/कुमारी उपरोक्त (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा ।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

दुकान नं. 80/4, स्थित अंसारी रोड,
मुजफ्फरनगर ।

तारीख : 15-1-86

मोहर :

(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

OFFICE OF THE COMPETENT AUTHORITY INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX (ACQUISITION RANGE)

Notices Under Section 269D (1) of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961)

Kanpur, the 15th January, 1986

M.D.280|85-86 :—Whereas, I, H. R. Das, being the Competent Authority authorised by the Central Government in this behalf under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the said Act, have reason to believe that immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,000,000 and bearing No. 80|4 situated at Ansari Road, Muzaffar Nagar (and more fully described in the schedule below) has been transferred and registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Muzaffar Nagar under registration No. 4640 dated 10-4-1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property by more then fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor (s) and transferee (s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. Shri Ghanshyam Dass, Advocate,
R|o. Bhairon Ka Mandir,
Muzaffar Nagar.
(Transferor)

2. Shri Subhash Chand Mittal,
C|o. Shanker Misthan Bhandar,
Ansari Road, Muzaffar Nagar.
(Transferee)

3. Shri|Smt. -Do- [Person(s) in occupation of the property].

4. Shri|Smt. -Do- (Persons whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of the notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

Shop No. 80|4, Situted at
Ansari Road, Muzaffar Nagar.

Date : 15-1-1986.

SEAL.

*Strike off where not applicable.

निदेश नं. एम. डी. 282/85-86—अतः मुझे, एच. आर. दास, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं. 80/2 है तथा जो अंसारी रोड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मुजफ्फरनगर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकरण सं० 4849, तारीख 12-4-85 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री घनश्याम दास, एडवोकेट, (अन्तरक)
   S/o गिरिलाल सरवट,
   मुजफ्फरनगर।

2. श्री सुभाष चन्द मित्तल, (अन्तरिती)
   C/o शंकर मिष्ठान भण्डार,
   अंसारी रोड,
   मुजफ्फरनगर।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी उपरोक्त (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. श्री/श्रीमती/कुमारी उपरोक्त (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान नं. 80/2, स्थित अंसारी रोड मुजफ्फरनगर।

तारीख : 15/1/86

मोहर :

(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

M.D. 282|85-86.—Whereas I, H. R. Dass, being the Competent Authority authorised by the Central Government in this behalf under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the said Act, have reason to believe that immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000|- and bearing No. 80|2 situated at Ansari Road, Muzaffar Nagar (and more fully described in the schedule below) has been transferred and registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Muzaffar Nagar under registration No. 4849 dated 12-4-85 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property by more than fifteen per cent of such appatent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. Shri Ghanshyam Dass,
   S|o. Giri Lai Saravat,
   R|o Bharav Ka Mandir
   Muzaffar Nagar
   (Transferor)

2. Shri Subhash Chand Mittal,
   C|o Shankar Misthan Bhandar,
   Ansari Road, Muzaffar Nagar.
   (Transferee)

3. Shri|Smt. -Do- [Person(s) in occupation of the property].

4. Shri|Smt. -Do- (Persons whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of the notice on the respective persons whichever period expires later).

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

Shop No. 80|2,
Situated at Ansari Road,
Muzaffar Nagar.

Date : 15-1-1986.

SEAL

*Strike off where not applicable.

निदेश नं. एम. डी.-283/85-86.--अतः मुझे, एच. आर. दास, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 1,00,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं. 80/3 है तथा जो अंसारी रोड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मुजफ्फरनगर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकरण सं० 4847, तारीख 29-4-85 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. श्री घनश्याम दास, एडवोकेट,
भैरो का मन्दिर,
मुजफ्फरनगर। (अन्तरक)

2. श्रीमती लता मित्तल, पत्नी श्री सुरेश चन्द मित्तल
द्वारा शंकर मिष्ठान भण्डार,
अंसारी रोड,—मुजफ्फरनगर। (अन्तरिती)

3. श्री/श्रीमती/कुमारी -उपरोक्त- (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. श्री/श्रीमती/कुमारी -उपरोक्त- (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान नं. 80/3, स्थित अंसारी रोड, मुजफ्फरनगर.

तारीख : 15-1-86

मोहर :

(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

MD-283|85-86.—Whereas, I, H. R. Das, being the Competent Authority authorised by the Central Government in this behalf under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the said Act, have reason to believe that immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000|- and bearing No. 80|3 situated at Ansari Road, Muzaffar Nagar (and more fully described in the schedule below) has been transfered and registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Muzaffar Nagar under Registration No. 4847 date 29-4-1985 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer ; and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian

Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :

1. Shri Ghanshyam Dass Advocate R|o Bhairav Ka Mandir, Muzaffar Nagar—(Transferor)
2. Smt. Lata Mittal W|o Subhash Chand Mittal C|o Shankar Misthan Bhandar, Ansari Road, Muzaffar Nagar.—(Transferee)
3. Shri|Smt. Do- [Persons in occupation of the property].
4. Shri|Smt Do- (Persons whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of the notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

Shop No. 80|3, Situated at Ansari Road, Muzaffar Nagar.

Date : 15-1-1986.

SEAL

*Strike off where not applicable.

निदेश नं. एम. डी. 284/85-86.—अतः मुझे एच. आर. दास, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000रु. से अधिक है और जिसकी सं. 80/1 है तथा जो अंसारी रोड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मुजफ्फरनगर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकरण सं० 5492, तारीख 29-4-85 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उप धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री घनश्याम दास एडवोकेट नि. भैरव का मन्दिर, मुजफ्फरनगर (अन्तरक)
2. श्री किशन लाल मित्तल पुत्र श्री बुद्ध मल रैदास पुरी मुजफ्फरनगर (अन्तरिती)
3. श्री/श्रीमती/कुमारी उपरोक्त (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. श्री/श्रीमती/कुमारी उपरोक्त (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान नं. 80/1 स्थित अंसारी रोड मुजफ्फरनगर।

तारीख : 15-1-86

मोहर :

[जो लागू न हो उसे काट दीजिए]

M.D.284|85-86.—Whereas, I H. R. Das being the Competent Authority authorised by the Central Government in this behalf under Section 269B of the Income-tax act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the said Act, have reason to believe that immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000|- and bearing No. 80|1 situated at Ansari Road, M. Nagar (and more fully described in the schedule below) has been transferred and registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Muzaffar Nagar under Registration No. 5492 date 29-4-85 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and|or;

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :

1. Shri Ghanshyam Das Advocate R|o Bhairav ka Mandir, Muzaffar Nagar. —(Transferor)

2. Shri Bishan Lal Mittal S|o Shri Budhoomal R|o Raidas Puri, Muzaffar Nagar. (Transferee)

3. Shri|Smt. Do- [Person(s) in occupation of the property]

4. Shri|Smt. Do- (Persons whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of the notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

Shop No. 80|1, Situated at,
Ansari Road, Muzaffar Nagar.

Date : 15-1-1986.

SEAL.

* Strike off where not applicable.

कानपुर, 14 जनवरी, 1986

निदेश नं. एम. डी.-285/85-86.—अतः मुझे एच. आर. दास, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000 रु. से अधिक है और जिसकी सं. 80/1 से 80/4 है तथा जो सरकट गेट मु. नगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मुजफ्फरनगर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकरण सं० 5492, 4849, 4640 और 4847, तारीख अप्रैल, 1985 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उप धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री घनश्याम दास S/o गिरी लाल (अन्तरक)
नि. भैरो का मंदिर
मुजफ्फरनगर।

2. श्री सुभाष चन्द्र मित्तल, लता मित्तल (अन्तरिती)
बिशन लाल मित्तल C/o शंकर मिष्ठान
भण्डार, अंसारी रोड,
मुजफ्फरनगर।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी क्रेतागण (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. श्री/श्रीमती/कुमारी क्रेतागण (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति संख्या 80/1 से 80/4
सरबट गेट,
मुजफ्फरनगर।

तारीख : 14-1-86 एच. आर. दास, सक्षम प्राधिकारी,
मोहर : (सहायक आयकर आयुक्त, निरीक्षण),
(अर्जन रेंज), कानपुर

[जो लागू न हो उसे काट दीजिए]

M.D. 285|85-86.—Whereas, I, H. R. Das being the Competent Authority authorised by the Central Government in this behalf under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the said Act, have reason to believe that immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000|- and bearing No. 80|1 to 80|4 situated at Sarbat Gate (and more fully described in the schedule below) has been transferred and registerd under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Muzaffar Nagar under Registration No. 5492, 4849, 4640 & 4847 date April 85 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor (s) and transferee (s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and|or :

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :

1. Shri Ghanshyam Dass S|o Giri Lal R|o Bhairav Ka Mandir, Muzaffar Nagar—(Transferor)
2. Shri Subhash Chand Mittal, Lata Mittal & Bishan Lal c|o Shankar Misthan Bhandar, Ansari Road, Muzaffar Nagar. (Transferee)
3. Shri|Smt. Do- [Person(s) in occupation of the property].
4. Shri|Smt. Do- (Persons whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of the notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

Property No. 80|1 to 80|4
Sarbat Gate, Muzaffarnagar

H. R. DASS, Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, (Acquisition Range), Kanpur

Date : 14-1-1986
SEAL

* Strike off where not applicable.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986